न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 12/21 सन् 2021

RCMS NO-2021/ 171

बउनवानीः—1. छोटेलाल पुत्र बिशन्या माली निवासी रवॉजना डूँगर तहसील सवाईमाधोपुर
2. बाबूलाल पुत्र हरजी माली निवासी रवॉजना डूँगर तहसील सवाईमाधोपुर
3. हंसराज पुत्र हरजी माली निवासी रवॉजना डूँगर तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. शम्भू लाल दत्तक पुत्र राध्या माली नि0 इन्द्रगढ छत्रपुरा तह0 इन्द्रगढ जिला बूंदी
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 634 दिनांक 18.6.2019 वाके ग्राम रवॉजना डूँगर तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—1. श्री नेमीचन्द बैरवा — वकील अपीलान्टगण
2.श्री मोईनुद्वीन शाह — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 30.4.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 634 दिनांक 18.6.2019 वाके ग्राम रवॉजना डूँगर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगण मृतक राध्या पुत्र ईश्वर माली के जायज वारिस है क्योकि राध्या माली अपीलान्ट का काका था तथा राध्या के मरने के उपरान्त उसकी पगडी अपीलान्टगण के बंधी थी उसके बाद राध्या के वारिस मृतक गोपाली व अपीलान्टगण थे लेकिन गोपाली को बहला फुसलाकर उक्त गोदनामा रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दिनांक 8.6.1999 मे गलत तरीके से करवा लिया ओर उक्त गोद पत्र के आधार पर मृतक गोपाली के नाम की जमीन को रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने नाम करवा लिया। उक्त नामा0 से संबंधित आराजीयात ख0न0 1317 रकबा 0.2300है0 खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.3500 है0, ख0न0 1318/1906 रकबा 0.0900 है0 ख0न0 1321/1898 रकबा 0.3100 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9800 है0 वाके ग्राम रवॉजना डूँगर को मृतक राध्या एवं गोपाली के जीवन काल से ही अपीलान्ट काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी अपीलान्टगण ही काश्त कर रहे है। अपीलान्ट द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जिला जज सवाईमाधोपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर अपीलान्ट के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया ऐसी स्थिति मे उक्त नामा0 खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 8.6.1999 को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम गोदनामा लिखा गया है उस समय रेस्पो0 नाबालिग था उसके जरिये संरक्षक किसी भी व्यक्ति का नाम गोदनामा मे अंकित नही किया है तथा गोदनामा मे गवाह बाहर गांव के है जो उक्त जमीन व [illegible] जानते तक नही है। उक्त गोदनामे की आड मे रेस्पो0 उक्त भूमि को [illegible] हडपना चाहता है। उक्त नामा0 18.6.2019 को कोराना काल के दौरान खुलवाया गया है [illegible] कि गोदनामा 8.6.1999 मे ही करवा लिया था । यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 18.4.2021 को होने पर आदेश जैर अपील की नकल हेतु दिनांक 19.4.2021 को आवेदन प्रस्तुत

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करने पर दिनांक 22.4.2021 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील गोदनामा दिनांक 8.6.1999 के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया है। जहॉ तक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपीलान्टगण के नाम जारी होने का प्रश्न है तो अचल सम्पति का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 2.00 लाख रूपये कोर्ट फीस दो माह मे जमा कराने की शर्त जारी करने हेतु जिला न्यायाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.7.2019 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की पालना मे 2.00 लाख रूपये कोर्ट फीस जमा हुई है अथवा नही कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किया है केवल मात्र निर्णय की प्रति ही पेश की गयी है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति पेश नही की गयी है। इस प्रकार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्णय 15.7.2019 से लगभग एक माह पूर्व ही आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 634 दिनांक 18.6.2019 तस्दीक किया जा चुका था। उक्त निर्णय मे केवल चल सम्पत्ति का ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिये गये है इसलिए उक्त निर्णय/प्रमाण पत्र केवल चल सम्पत्ति पर ही लागू है। यदि गोदनामा गलत है तो अपीलान्ट को उक्त गोदनामा निरस्त करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 634 दिनांक 18.6.2019 गोदनामा दिनांक 8.6.1999 के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है तथा उक्त गोदनामा किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया है। यदि गोदनामा गलत है तो अपीलान्ट उक्त गोदनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही करे। आदेश जैर अपील दिनांक 18.6.2019 को पारित हुआ है जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत दिनांक 15.7.2019 को माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जहॉ तक अपीलान्ट पक्ष मे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत पारित निर्णय का प्रश्न है तो उक्त निर्णय केवल चल सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत आदेश जैर अपील से लगभग एक माह पश्चात पारित किया गया है इसलिए उक्त उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बाबत पारित निर्णय के आधार पर आदेश जैर अपील को निरस्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 634 निर्णय दिनांक 18.6.2019) यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:32 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner